APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

छगनलाल बनाम हरीश

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/7/25	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र बाबत खारिज फरमाए जाने वास्ते पेश हुई। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से लेकर आज दिनांक तक भी प्रार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर पाया है जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं को सिनियर सिटिजन बताते हुए असत्य तथ्यों पर आधारित मनगढ़न्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अप्रार्थी को हैरान व परेशान किया है। प्रार्थी के सिनियर सिटिजन ना होने से उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाए जाने की कृपा करें। प्रार्थी को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु प्रर्याप्त अवसर दिये गए परन्तु प्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया अतः प्रार्थी का जवाब का अवसर बंद किया गया। तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। अप्रार्थी की ओर से बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस नही की गई। अतः बहस का अवसर बंद किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम में सीनियर सिटीजन की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। परन्तु प्रार्थी की आयु 60 वर्ष से कम है जिस कारण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में चलने योग्य नही होने से खारिज किया जावे। अप्रार्थी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी के आधार कार्ड की प्रति पेश की है। प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की आयु वर्तमान में 60 वर्ष से कम है जो कि भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत सीनियर सिटीजन की श्रेणी में नहीं आते है। प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत खारिज फरमाए जाने का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है और ना ही प्रार्थी की ओर से बहस कर अप्रार्थी द्वारा किये गये कथनों का खण्डन किया गया है जिस कारण से अप्रार्थी द्वारा किए गए कथन उचित प्रतीत होते है। अतः अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत खारिज फरमाए जाने स्वीकार कर प्रार्थी द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत सीनियर सिटीजन एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उक्त निर्णय आज दिनांक 25/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा	